न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 48 / 2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड। प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. प्रभुदयाल पुत्र शंकरलाल (ऋणी एवं रहनकर्त्ता)
   निवासी हाउस नम्बर 30, वार्ड नम्बर 04, ग्राम सीलकीबाड़ा, ग्राम पंचायत बासड़ी, तहसील खण्डेला मोड़, जिला सीकर राज.–332709।

   यहां भी
   प्रभुदयाल पुत्र शंकरलाल, नन्दराम एवं मदन लाल
   पट्टा नम्बर 05, संकल्प नम्बर 19(2), ग्राम पंचायत बासड़ी, तहसील खण्डेला मोड़ जिला सीकर राज.– 332709।

2. नन्दराम पुत्र शंकरलाल (सहऋणी एवं रहनकर्त्ता)
   निवासी हाउस नम्बर 30, वार्ड नम्बर 04, ग्राम सीलकीबाड़ा, ग्राम पंचायत बासड़ी, तहसील खण्डेला मोड़, जिला सीकर राज.–332709।

3. सुशीला देवी पत्नी प्रभुदयाल (सहऋणी)
   निवासी हाउस नम्बर 30, वार्ड नम्बर 04, ग्राम सीलकीबाड़ा, ग्राम पंचायत बासड़ी, तहसील खण्डेला मोड़, जिला सीकर राज.–332709।

4. मदनलाल पुत्र शंकरलाल (सहऋणी एवं रहनकर्त्ता)
   निवासी स्कूल के पास, बलाईयों का मौहल्ला, ग्राम सिलकीबाड़ा, ग्राम पंचायत बासड़ी, तहसील खण्डेला मोड़, जिला सीकर– 332709।

5. मुकेश कुमार स्वामी पुत्र जगदीश प्रसाद स्वामी (जमानतकर्त्ता)
   निवासी वार्ड नम्बर 09, मान्जा कुई मौहल्ला, ग्राम मेंठ, दुल्हेपुरा, होद, तहसील खण्डेला मोड़, जिला सीकर– 332709।

जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांकः 19 सितम्बर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **प्रभुदयाल, नन्दराम, सुशीला देवी, मदनलाल, मुकेश कुमार स्वामी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में :–

पट्टा नम्बर 05, संकल्प नम्बर 19(2), ग्राम पंचायत बासड़ी, तहसील खण्डेला मोड़ जिला सीकर राज. जिसकी नाप 300.33 वर्गगज है। मालिकाना हक प्रभुदयाल, नन्दराम, मदनलाल का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–

पूर्व में :– हाउस ऑफ किशनलाल, ओमप्रकाश,

पश्चिम में :– हाउस ऑफ गोकुल, सुरेश

उत्तर में :– हाउस ऑफ फुलाराम, छितरमल

दक्षिण में :– रास्ता एवं ऑपन लैण्ड,

को बंधक रखकर **5,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **पांच लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **2712.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **27.12.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के

मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **प्रभुदयाल, नन्दराम, सुशीला देवी, मदनलाल, मुकेश कुमार स्वामी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक :

पट्टा नम्बर 05, संकल्प नम्बर 19(2), ग्राम पंचायत बासड़ी, तहसील खण्डेला मोड़ जिला सीकर राज. जिसकी नाप 300.33 वर्गगज है। मालिकाना हक प्रभुदयाल, नन्दराम, मदनलाल का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–

पूर्व में :– हाउस ऑफ किशनलाल, ओमप्रकाश,

पश्चिम में :– हाउस ऑफ गोकुल, सुरेश

उत्तर में :– हाउस ऑफ फुलाराम, छितरमल

दक्षिण में :– रास्ता एवं ऑपन लैण्ड़,

का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद (जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर) प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान जो नियमों में देय है, सम्बन्धित बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 19 **सितम्बर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner